राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

वाद संख्या:– 271/प्रा0पत्र/2025 दायरा दिनांक :–01.09.2025

GCMS ID-2025/350

बउनवान

1. शम्भूलाल, आयु 52 वर्ष, आ० माधुलाल, जाति माली, निवासी धोवडा, तहसील– हिण्डोली, जिला–बून्दी (राज०)

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य, जर्ये तहसीलदार साहब हिण्डोली जिला बून्दी राज.

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र :– राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के तहत वास्ते इंद्राज दुरस्ती।

वकील प्रार्थी :– श्री चन्द्रप्रकाश जैन।
वकील अप्रार्थी :– पेरोकार सरकार।

निर्णय दिनांक :– 05/02/2026

उपरोक्त विषय में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि कृषि भूमि खाता संख्या नया 369 पुराना 203 की भूमि खं.सं 1461 रकबा 0.3399, खं.स. 1462 रकबा 0.0324, खं.सं. 1464 रकबा 0.2266, खं.सं. 1465 रकबा 0.0567, खं.सं. 1468 रकबा 0.3885 खं.सं. 1477 रकबा 0.4047. खं.सं. 1542 रकबा 0.1133, खं.सं. 1543 रकया 010486, खं.सं. 1545 रकबा 0. 2509, खं.सं. 1547 रकबा 0.0809, खं.सं. 1548 रकबा 0.0324, खं.सं. 1549 रकबा 0.2914, व खं.सं. 1550 रकबा 0.0647 कुल किता 13 कुल रकबा 2.3310 हैक्टेयर वाके ग्राम घोवड़ा पटवार मण्डल धोवड़ा, तहसील हिण्डोली जिला–बून्दी (राज०) में विस्थित है। उक्त भूमि प्रार्थी को अपने पिता से विरासत में प्राप्त हुई है। प्रार्थी अपने हिस्से की भूमि पर निरन्तर काबिज काश्त करता चला आ रहा है। उक्त भूमियों के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम शम्भू आ० माधों दर्ज हो रहा है, प्रार्थी वर्तमान का सही नाम शम्भू लाल माली आ० माधुलाल माली है। प्रार्थी को बाल्यकाल अवस्था में घर पर शम्भू के नाम से पुकारते थे, इस

उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली

कारण प्रार्थी के पिता की मृत्यु होने के बाद हल्का पटवारी द्वारा प्रार्थी के घर पर आये बिना व सही जानकारी किये बिना राजस्व रिकार्ड में नामान्तरण खोलते समय प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमियों के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का घरेलु नाम शम्भू के नाम का इन्द्राज कर दिया, जबकि प्रार्थी का सही नाम शम्भू लाल माली आ० माधुलाल माली है, इसलिये हल्का पटवारी द्वारा दर्ज किया गया इन्द्राज अवैध एवं निरस्तनीय हैं। प्रार्थी के सभी सरकारी दस्तावेजात, आधार कार्ड, पहचान–पत्र, बैंक पासबुक्स, राशन कार्ड, पेनकार्ड, जॉबकार्ड आदि में प्रार्थी का नाम शम्भू लाल माली आ० माधुलाल माली दर्ज है लेकिन राजस्व रिकार्ड की भूमि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमियों के राजस्व विक्राक्रम में प्रार्थी का नाम शम्भू आ० माधों दर्ज कर दिये जाने की वजह से प्रार्थी अपनी उपरोक्त भूमि पर सरकारी योजनाओ का लाभ नहीं ले पा रहा है। प्रार्थी का नाम शम्भू लाल माली आ० माधुलाल माली है और पहचान के सभी दस्तावेजात में भी शम्भू लाल माली आ० माधुलाल माली ही नाम दर्ज है। राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये गये इन्द्राज को दुरूस्त किया जाकर शम्भू आ० माधों के स्थान पर शम्भू लाल माली आ० माधुलाल माली दुरुस्त किया जाना न्यायोचित एंव आवश्यक है। उक्त नाम के इन्द्राज को दुरूस्त करवाने हेतु प्रार्थी ने पटवारी हल्का के पटवारी के समक्ष व तहसीलदार साहब के यहा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया लेकिन तहसीलदार साहब ने न्यायालय से आदेश लाये बिना नाम के इन्द्राज को दुरूस्त करने से दिनांक 15.07.2025 को इन्कार कर दिया यही प्रार्थना पत्र का कारण है। प्रार्थी को अधिकार प्राप्त हे कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमियों के राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपना नाम शम्भू लाल आ० माधु के इन्द्राज को दुरूस्त करवाकर शम्भू लाल आ० माधुलाल दर्ज करवावे एंव उक्त गलत इन्द्राज को दुरूस्त करवाकर सही नाम शम्भू लाल माली आ० माधुलाल माली दर्ज करवावे। उपरोक्त भूमिया वाके ग्राम घोवड़ा, पटवार मण्डल धोवड़ा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी (राज.) में विरिथत होने से एंव श्रीमान लेण्ड रिकोर्ड ऑफिसर होने से लेण्ड ऑफिसर की हैसियत से श्रीमान को उक्त प्रार्थना पत्र के श्रवणाधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र निर्धारित न्याय शुल्क एंव तलबाने पर प्रस्तुत है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि खाता संख्या नया 369 पुराना 348 की भूमि खं.सं 1461 रकबा 0. 3399, खं. स. 1462 रकबा 0.0324, खं.सं. 1464 रकबा 0.2266, खं.सं. 1465 रकबा 0.0567, खं.सं. 1468 रकबा 0.3885, खं.सं. 1477 रकबा 0.4047, खं.सं. 1542 रकबा 0.1133, खं.सं. 1543 रकबा 0.0486, खं.सं. 1545 रकबा 0.2509, खं.सं. 1547 रकबा 0.0809,

Email- [illegible]@gmail.com Phone no-7436276446

न्यायालय ... अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

खं.सं. 1548 रकबा 0.0324, खं.सं. 1549 रकबा 0. 2914, व खं.सं. 1550 रकबा 0. 0647 कुल किता 13 कुल रकबा 2.3310 हैक्टेयर वाके ग्राम धोवडा पटवार मण्डल धोवडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी (राज0) के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम शम्भू आ0 माधों के इन्द्राज को दुरूस्त कर उक्त स्थान पर शम्भू लाल माली आ0 माधुलाल माली दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड की जमाबंदी दर्ज करने के आदेश प्रदान की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया।

प्रकरण में अप्रार्थी की ओर से नायब तहसीलदार दबलाना के पत्रांक :– राजस्व/25/1809 दिनांक :–24.11.2025 से प्राप्त जॉच रिपोर्ट अनुसार ग्राम धोवडा के खाता संख्या 369 में प्रार्थी सहखातेदार के रूप में दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। मजमा–ए–आम में प्राप्त जानकारी व ग्रामवासियों अनुसार उक्त खाता नम्बर में दर्ज शम्भू पुत्र माधो व शम्भूलाल पुत्र माधोलाल एक ही व्यक्ति के नाम होने से रिकॉर्ड में दर्ज शम्भू पुत्र माधो के स्थान पर पर प्रार्थी का शुद्ध नाम शम्भूलाल पुत्र माधोलाल शुद्ध दर्ज किए जाने में कोई आपत्ति नहीं है। प्रार्थी को उक्त भूमि विरासत से प्राप्त हुई।

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी का सही नाम शम्भूलाल पुत्र माधोलाल है जिसे मुताबिक प्रार्थना पत्र के दुरूस्त किए जाने का कथन किया गया।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 में वर्णित है कि "भूमि अभिलेख अधिकारी भी समय, किसी लिपिकीय गलती या ऐसी गलतियों को विहित रीति से शुद्ध कर सकेगा या उन्हे शुद्ध करवा सकेगा जिनका अधिकार अभिलेख या रजिस्टर में कर दिया जाना हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करें या जिन्हे कोई राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर में अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस करें। कोई भी ऐसी गलती तब तक शुद्ध नहीं की जायेगी। जब तक कि पक्षकारों को सुनवाई हेतु नोटिस नहीं किया गया हो, ऐसे प्रावधान दिए हुए है।"

वकील प्रार्थी द्वारा अपनी बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को एवं रिपोर्ट नायब तहसीलदार एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर ध्यानपूर्वक मनन किया गया। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड, बैंक खाता डायरी, जनआधार कार्ड पेश किए है जिसमें प्रार्थी का सही नाम शम्भूलाल पुत्र माधोलाल है। प्रकरण में तहसीलदार हिण्डोली से प्राप्त रिपोर्ट में भी प्रार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष दिया

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

जाना उचित बताया है। प्रकरण में उपरोक्त तथ्यों से प्रार्थना पत्र प्रार्थी राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत स्वीकार किये जाने योग्य है।

—: क्रियात्मक आदेश :—

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर भूमि वाके ग्राम धोवडा प0मं0 धोवडा के खाता संख्या 369 में दर्ज प्रार्थी का नाम शम्भू पुत्र माधो के स्थान पर शम्भूलाल पुत्र माधोलाल शुद्ध दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की पालना हेतु नायब तहसीलदार दबलाना को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक :—05.02.2026 को सरे इजलास खुलेआम सुनाया गया।

05/02/2026

(शिवराज मीणा)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446